33

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 769—एक/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 15—12—2015 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, जौरा के प्रकरण क्रमांक 16/अ—68/2014—15

.....

1— भगवानलाल पुत्र हरिया
2— महेश पुत्र जगदीश कुशवाह
3— सुनील पुत्र जगदीश कुशवाह
4— त्रलोक सिंह पुत्र केदारसिंह कुशवाह
5— रामवीर पुत्र केदारसिंह कुशवाह
6— गजानन पुत्र केदार सिंह कुशवाह
7— महेन्द्र पुत्र चन्दनसिंह कुशवाह
8— भरोसी पुत्र चन्दनसिंह कुशवाह
9— पानसिंह पुत्र चन्दनसिंह कुशवाह

.....आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसील जौरा
जिला—मुरैना, म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री राजीव गौतम, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 6-12-2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, जौरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15—12—2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि मंदिर श्री रामजानकी स्थित ग्राम मुन्द्रावजा के पुजारी ने ग्राम मुन्द्रावजा की भूमि सर्वे क्रमांक 532 रकबा 0.742 है0 शासकीय ऑकाफ मंदिर

श्री रामजानकी पर सर्वे क्रमांक 532 रकबा 0.742 है0 में से अंश भा रकबा 0.314 है0 पर आवेदक भगवानलाल पुत्र हरिया कुशवाह तथा अंश भाग रकबा 0.209 है0 पर महेश, सुनील, मुकेश पुत्रगण जगदीश कुशवाह तथा अंश भाग रकबा 0.209 है0 पर त्रलोकसिंह, रामवीर, गजानन पुत्रगण केदारसिंह कुशवाह तथा सर्वे क्रमांक 1144, 1145 रकबा 0.721 है0 पर महेन्द्र, भरोसी, पानसिंह पुत्रगण चन्दनसिंह कुशवाह समस्त निवासीगण–ग्राम मुन्द्रावजा के नाम से अवैध रूप से अतिक्रमण के संम्बध में अतिक्रमण की रिर्पोट तहसीलदार जौरा को प्रस्तुत की गई। तहसीलदार जौरा द्वारा उक्त अतिक्रमण रिपोर्ट सामूहिक रूप से प्र.क्र. 09/2013–14/अ–69 पर पंजीबद्ध कर कारण बताओ नोटिस आवेदकगण को जारी किये गये। जिनके जवाब में आवेदकगण द्वारा विधिवत रूप से प्रकरण में प्रस्तुत किया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो अतिक्रमण रिपोर्ट में दर्शायी गई भूमि का सीमांकन कराया और न ही आवेदकगण को मौके पर अतिक्रमण का ज्ञान कराया और न साक्ष्य का अवसर दिया और न ही सुनवाई का कोई समुचित अवसर दिया तथा संहिता की धारा 248 तहत तहसील न्यायालय जौरा द्वारा आवेदक भगवानलाल पर रुपये 5000/– तथा त्रलोकसिंह, रामवीर सिंह, गजानन पर सामूहिक रूप से रुपये 45000/– तथा महेश, सुनील, व मुकेश पर सामूहिक रूप से रुपये 4000/– तथा महेन्द्र, भरोसी, पानसिंह पर सामूहिक रूप से रुपये 13500/– को अर्थदण्ड आरोपित कर दिनांक 20.01.2015 को आदेश पारित किया गया। आवेदकगण द्वारा उक्त अर्थदण्ड की राशि जमा की जा चुकी है। किन्तु फिर भी मंदिर श्री रामजानकी के पुजारी ने अवैध रूप से प्रकरण सिविल जेल की कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी, जौरा के न्यायालय में भिजवाया, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी, जौरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/2014–15/अ–68 पर पंजीबद्ध कर आवेदकगण को नोटिस जारी किया गया तथा आवेदकगण को विधिवत सुनवाई का अवसर दिये बिना दिनांक 15.12.2015 को अवैध रूप से सिविल कारावास हेतु गिरफ्तारी वारन्ट जारी किया, जिससे परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सूचना पत्र जारी किया, जिसमें अंकित नियत तिथि पर आवेदकगण की ओर से उनके अभिभाषक प्रकरण में उपस्थित हुये तथा सूचना पत्र के जवाब हेतु समय चाहा, किन्तु जवाब हेतु समुचित अवसर न देते हुये जवाब का हक समाप्त कर

दिया। संहिता की धारा 248 के प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण की भूमि का सीमांकन कराया जाना तथा अनावेदकों को अतिक्रमण के विषय में ज्ञान कराया जाना अति आवश्यक है, किन्तु अधीनस्थ तहसील न्यायालय इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी, जौरा ने कोई ध्यान न देते हुये अवैध रूप से आवेदकगण के विरूद्ध सिविल जेल हेतु पारित आदेश दिनांक 15.12.2015 विधि के विरूद्ध है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ तहसील न्यायालय प्रकरण में न आवेदकों को साक्ष्य का अवसर दिया गया न सुनवाई का अवसर दिया गया तथा नियम को ताक में रखते हुये अवैध रूप से आवेदकगण को अर्थदण्ड से दण्डित कर प्रकरण सिविल जेल कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी, जौरा को भेजने की त्रुटि की है। अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदक शासन के शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्कों का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अध्ययन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मंदिर श्री रामजानकी स्थित ग्राम मुन्द्रावजा के पुजारी ने ग्राम मुन्द्रावजा की भूमि सर्वे क्रमांक 532 रकबा 0.742 है0 शासकीय ऑकाफ मंदिर श्री रामजानकी पर सर्वे क्रमांक 532 रकबा 0.742 है0 में से अंश भा रकबा 0.314 है0 पर आवेदक भगवानलाल पुत्र हरिया कुशवाह तथा अंश भाग रकबा 0.209 है0 पर महेश, सुनील, मुकेश पुत्रगण जगदीश कुशवाह तथा अंश भाग रकबा 0.209 है0 पर त्रलोकसिंह, रामवीर, गजानन पुत्रगण केदारसिंह कुशवाह तथा सर्वे क्रमांक 1144, 1145 रकबा 0.721 है0 पर महेन्द्र, भरोसी, पानसिंह पुत्रगण चन्दनसिंह कुशवाह समस्त निवासीगण–ग्राम मुन्द्रावजा के नाम से अवैध रूप से अतिक्रमण के संम्बध में अतिक्रमण की रिर्पोट तहसीलदार जौरा को प्रस्तुत की गई। तहसीलदार जौरा द्वारा उक्त अतिक्रमण रिपोर्ट सामूहिक रूप से प्र.क्र. 09/2013–14/अ–69 पर पंजीबद्ध कर कारण बताओ नोटिस आवेदकगण को जारी किये गये एवं दिनांक 20.01.2015 को आवेदकगणों पर संहिता की धारा 248 तहत तहसील क्रमशः रुपये 5000, 45000, 4000, एवं रुपये 13500/– को अर्थदण्ड आरोपित किया जाकर बेदखली का नोटिस जारी किया तथा 07 दिवस से अधिक की अवधि

के बाद भी आवेदकगणों द्वारा शासकीय भूमि से अपना बेजा कब्जा न हटाये जाने से तहसील न्यायालय जौरा द्वारा प्रकरण सिविल जेल की कार्यवाही हेतु न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, जौरा को भेजा गया । न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, जौरा द्वारा आवेदकगणों को नोटिस जारी किया गया। जिस पर आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा जवाब हेतु समय चाहा गया। कई बार अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत न होने पर अनुविभागीय अधिकारी, जौरा ने तहसीलदार जौरा एवं मौजा पटवारी के प्रतिवेदन का अवलोकन कर आवेदकगण को शासकीय भूमि से अपना बेजा कब्जा हटाने हेतु 15 दिवस की कालावधि के लिये सिविल कारागार में परिरूद्ध करने का आदेश पारित किया । साथ ही थाना प्रभारी जौरा को गैर जमानती वारन्ट जारी किये जाने हेतु निर्देश दिये।

6/ प्रकरण में तहसीलदार जौरा एवं मौजा पटवारी के प्रतिवेदन तथा अनुविभागीय अधिकारी, जौरा के द्वारा पारित आदेश का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि आवेदकगण का उक्त शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है और वे अपना बेजा कब्जा हटाना नहीं चाहते । अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी, जौरा द्वारा कई बार नोटिस जारी किया गया, किन्तु आवेदकगण द्वारा उक्त शासकीय भूमि से अपना बेजा कब्जा नहीं हटाया गया । इसीकारणवश अनुविभागीय अधिकारी, जौरा द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध सिविल कारागार में परिरूद्ध करने का आदेश दिया । मेरे मतानुसार अनुविभागीय अधिकारी ने जो आदेश पारित किया है, वह विधि प्रक्रिया के अनुकूल है। मैं अनुविभागीय अधिकारी, जौरा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2015 से सहमत हूँ ।

7/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी, जौरा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2015 न्यायसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। फलतः आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर